तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 43/2021 अनवान जोगाराम बनाम गुमनाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
28/09/22	**निर्णय/आदेश** पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षों के वकील उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे उसे सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा सादुलाणियों का तला पटवार क्षेत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 456, 965 व 966 कुल रकबा 27.03 बीघा भूमि की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 06 का संयुक्त कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता का 1/2 हिस्सा है उसी अनुसार पैतृक भूमि होने के नाते प्रार्थीगण का पैतृक भूमि में जन्म से हिस्से निहित है तथा प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/10-1/10 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण के पिता है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की भूमि का बेचान करने पर उतारु है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01, प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने पर उतारु है, जबकि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाये बिना अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर आमदा है। यदि अप्रार्थीगण उसमे सफल होता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं न्यायिक प्रकरणों की संख्या में भी अनावश्यक वृद्धि होगी। लिहाजा प्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्राप्त करने का अधिकारी है कि मौजा सादुलाणियों का तला पटवार क्षेत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 456, 965 व 966 कुल रकबा 27.03 बीघा भूमि में प्राथीगण के कब्जे काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का दखलन्दाजी नही करे तथा मौके व रिकॉर्ड की	
(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर		

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 43/2021 अनवान जोगाराम बनाम गुमनाराम
	यथा स्थिति बनाये रखे। वकील अप्रार्थीगण ने कई बार अवसर देने के उपरान्त भी जवाब नही दिया, जिसे आज बन्द किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात यथा खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी, नक्शा का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि है। पत्रावली के अवलोकन से एवं वकील प्रार्थीगण की बहस से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने तथा बेचान करने पर आमदा है तथा पैतृक खातेदारी की भूमि में प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 के जायन्दा वारिस होने के नाते जन्म से हिस्सा निहित है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा सादुलाणियों का तला पटवार क्षेत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 456, 965 व 966 कुल रकबा 27.03 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण गुमनाराम के हिस्से तक कब्जे तक रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 21/09/22 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर। पुनश्च: उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा तामीला मुलवाद कन्फर्म की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। मूल पत्रावली के शामिल हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर